(10)

अतिरिक्त संलग्नक 2.2

प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

अतिरिक्त संलग्नक 2.2

संख्या – 5377 / III(2) / 13–13(मु0म0घो0) / 2012

प्रेषक

धीरेन्द्र सिंह दताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 14 जनवरी, 2013

विषय:– **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत विभिन्न 34 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौडी/अल्मोड़ा अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 34 कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, कुल लम्बाई 229.85 किमी0 + 06 सेतु पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 2155.70 लाख (₹ इक्कीस करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 34 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 3.40 लाख (₹ तीन लाख चालीस हजार मात्र) की अनुमति महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें-- आयोजनागत--800–अन्य व्यय--05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य मे विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

–2/

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi)- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 3.80 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:- S1212220086 दिनांक 14-12-2012 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-790/XXVII/(2)/2012 दिनांक: 29 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/13-13(मु0मं0घो0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-5377(1)/III(2)/12-13(मु0म0घो0)/2012 दिनांक 14 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	घोषणा संख्या	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आकलित धनराशि।	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–धारचूला में डोलमा बैण्ड से पंचाचुली तक पैदल मार्ग का निर्माण।	598/2012	45.00	175.50	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–धारचूला में सेराघाट–आलम पैदल मार्ग के किमी0 1 गोरी नदी पर 70.00 मी0 स्पान झूलापुल का निर्माण।	592/2012	70.00 mt	2.80	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–धारचूला में होकरा के पास गुड़कम में रामगंगा नदी पर 100 मी0 विस्तार झूलापुल का निर्माण।	586/2012	100.00 mt	5.00	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में काण्डई–बांजकोट–ग्वीठगांव–ईड़ा–सौंटी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	81/2012	10.00	125.80	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में माजरा महादेव–कटूड मोटर मार्ग का निर्माण।	82/2012	06.00	75.48	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में बसोला–बगडियालगांव–समया मोटर मार्ग का नव निर्माण।	83/2012	10.00	126.00	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में मैखूली–कदूरखाल–गणतखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण	84/2012	10.00	126.00	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में चकरगांव–कलाण–किमोडा–डाडाखिल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	85/2012	10.00	126.00	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 से ग्राम तुंगदुन्डा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	86/2012	5.00	62.90	0.10
10	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 से ग्राम नांदा तक मोटर मार्ग व पश्चिमी नयार पर 36 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	89/2012	6.00 + 36 mt	77.64	0.10
11	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में स्वीत–गहड़ हल्के वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मलेथा तक डामरीकरण तथा मलेथा से बुधाणी–देवलगढ़–चमधार तक मोटर मार्ग का विस्तार।	179/2012	10.10	37.44	0.10

25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंथियार गढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	672 / 2012	8.00 + 12 mt span	101.36	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग पर हडमधार नामें तोक से ग्राम आराकोट के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	674 / 2012	2.00	25.16	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में गंगलोगी डोबरा झानसू मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	675 / 2012	4.00	1.24	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में डोबरा मरोडा जाख नई टिहरी मोटर मार्ग के जाख से नई टिहरी तक के भाग तक डामरीकरण	676 / 2012	8.50	2.64	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में आराकोट–वाल्काखाल मोटर मार्ग के खड़ीखाल नामक स्थान से ग्राम केमरीगांव रौलियालगांव सीसराणा से भैंसवाड़ा नामें तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण।	686 / 2012	5.00	62.90	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– नरेन्द्रनगर में जगेठीखाल खण्डकरी (तुंगोली बंगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग, राजराजेश्वरी माता मन्दिर से कैन्छु ग्राम सभा के लिए मोटर मार्ग कानिर्माण।	671 / 2012	6.00	75.48	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र– नरेन्द्रनगर में नकोट गजा मोटर मार्ग के जगेठी से तुगोली माणदा तक निर्माण का कार्य।	683 / 2012	4.00	50.32	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में हंस्वाणगांव नागराजाधार मन्दिर से होते हुए साबली से चोपडियाली, बिडकोट, लवाधार पटुडी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	685 / 2012	5.00	62.90	0.10
33	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में नागणी–भादूसैंण–पटुडी मोटर मार्ग के ग्राम पटुडी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण	673 / 2012	3.00	37.74	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री जी घोशणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी में नागणी–जड़धारगांव मुख्य मोटर मार्ग से भूणियाखेत से बर्नियाण लौजी–पशोलगांव देवधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	670 / 2012	2.50	31.45	0.10
	योग:–		229.85 km + 06 brg	2155.70	3.40

(₹ तीन लाख चालीस हजार मात्र)

(महिना)
अनु सचिव